कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, हनुमानगढ

अपील संख्याः–18 / 2019 सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत

श्री कृष्णलाल पुत्र श्री मानाराम जाति जाट निवासी 4 आरटीपी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––अपीलार्थी

**बनाम**

तहसीलदार (राजस्व), संगरिया।

––प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांकः–02.05.2019

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व), संगरिया के संबंध में प्राप्त हुई

अपीलार्थी की ओर से उसका प्रतिनिधि श्री रमेश दर्गन उपस्थित। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार तहसीलदार संगरिया द्वारा सूचना नही देने का जो कारण अंकित किया है वह मान्य नही है। लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना उपलब्ध होते हुए भी जानबुझकर उपलब्ध नही कराने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई हैं।

तहसीलदार (भू0अ0) संगरिया से पत्र कमांक 1727 दिनांक 25.4.2019 द्वारा जबाव प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रेषित किया जाना पाया गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार (भू0अ0) संगरिया के पत्र क्रमांक 1727 दिनांक 25.4.2019 का अवलोकन करने से तहसीलदार संगरिया द्वारा पत्रांक 1187 दिनांक 15.03.2019 से अपीलार्थी को बिन्दु संख्या 1 व 2 के संबंध में प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क (प्रतिलिपि टिकट) जमा करवाकर प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाना पाया गया। अपीलार्थी बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचना के संबंध में तहसीलदार संगरिया के यहां नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर सकता है। अपीलार्थी को इस अपील में ओर कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है। अतः अपीलार्थी की यह अपील उक्तानुसार निर्णित की जाती है। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official